

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endt. No Al/553
III-6-3/90

Jabalpur, dated 27/10/2025

The Notification F. Nos. 4258/21-B(1)/2025 & 4259/21-B(1)/2025 dated 23.10.2025 and 4142/21-B(1)/2025 dated 24.10.2025, in respect of appointment of Shri Manoj Kumar Mandloi, Principal District & Sessions Judge, Alirajpur, Smt. Shashikanta Vaishya, Principal District & Sessions Judge, Dindori and Shri Dagdu Singh Chouhan, Principal District & Sessions Judge, Agar-Malwa u/s 14 of SC/ST (POA) Act, 1989 at District Alirajpur, Dindori and Agar-Malwa respectively, received from the Law and Legislative Affairs Department, Bhopal, is forwarded to:-

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, Alirajpur, Dindori and Agar-Malwa for information and necessary action, with request that the order may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Assitant Registrar (M), Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.


27/10/25

MUKESH RAWAT
REGISTRAR District Establishment

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23/10/2025

फा0 क्र0 4258/21-ब(एक)/2025-अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए, कॉलम (3) में उल्लिखित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु.क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
"1.	अलीराजपुर	श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर।"

NOTIFICATION

F.NO. 4258-XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Principal District and Sessions Judge mentioned in column (3) as Special Judge for the Districts mentioned in column (2) of the table given below to try the offences under the said Act, namely:-

TABLE

S.No.	Nam of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
"1.	Alirajpur	Shri Manoj Kumar Mandloi, Principal District and Sessions Judge, Alirajpur."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अनिल कुमार पाठक)

सचिव,

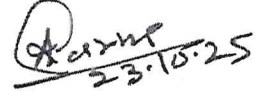
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 4258/21-ब(एक)/2025,

भोपाल, दिनांक 23/10/2025

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक B/7237/III-6-3/90-XI दिनांक 27.09.2025 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म० प्र०)
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


23.10.25

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 /10/2025

फा0 क्र0 4259/21-ब(एक)/2025-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए, कॉलम (3) में उल्लिखित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु.क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
" 5.	डिण्डौरी	श्रीमती शशिकांता वैश्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी ।"

NOTIFICATION

F.NO: 4259-XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Principal District and Sessions Judge mentioned in column (3) as Special Judge for the Districts mentioned in column (2) of the table given below to try the offences under the said Act, namely:-

TABLE

S.No.	Nam of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
"5.	Dindori	Smt. Shashikanta Vaishya, Principal District and Sessions Judge, Dindori."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अनिल कुमार पाठक)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

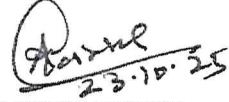
//2//

पृ० क्र० 4259/21-ब(एक) /2025,

भोपाल, दिनांक 23/10/2025

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/6056/III-6-3/90-XI दिनांक 12.09.2025 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म० प्र०)
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


23.10.25

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 24/10/2025

फा0 क्र0 4142/E-871822/21-ब(एक)/2025-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए, कॉलम (3) में उल्लिखित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। वर्ष 204 में आगर-मालवा को जिला बनाया गया था इसलिए मूल अधिसूचना एफ क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-ब(1)-1564-2018 दिनांक 04-05-2018 में जिला आगर-मालवा की प्रविष्टि नहीं थी, अतएव, उपरोक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

सारणी

अनु.क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
"1क.	आगर-मालवा	श्री दगडू सिंह चौहान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर-मालवा।"

NOTIFICATION

F.NO. 4142/ E-871822/XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Principal District and Sessions Judge mentioned in column (3) as Special Judge for the Districts mentioned in column (2) of the table given below to try the offences under the said Act. Agar-Malwa was made as District in the year 2024, that's why the original Notification F.No.1-2-90-XXI-B-(1)-1564-2018 dated 04-05-2018 was not having the entry of District Agar-Malwa, therefore, in the abovesaid Notification, after serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

//2//

TABLE

S.No.	Nam of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
"1a.	Agar-Malwa	Shri Dagdu Singh Chouhan, Principal District and Sessions Judge, Agar-Malwa."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अनिल कुमार पाठक)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 24/10/2025

पृ० क्र० 4142/ E-871822/21-ब(एक) /2025,

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक A/4375/III-6-3/90-XI दिनांक 06.10.2025 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर-मालवा(म०प्र०)
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(अनिल कुमार पाठक)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग